

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरुण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 539/2017

अपीलाप्ट्स	बनाम	रेस्पॉन्डेंट
1- जेठाराम पुत्र किशनाराम		1- पूनीदेवी पुत्री मोटिया उर्फ मोटाराम
2- ओमाराम पुत्र किशनाराम		पत्नी पेमराम जाति जाट निवासी
3- झुमरराम पुत्र किशनाराम		बामणियावास तहसील व जिला
4- सीयाराम पुत्र किशनाराम		नागौर
5- सम्पत पुत्र किशनाराम		2- हरकूदेवी पुत्री मोटिया उर्फ
6- पाबूराम पुत्र मेगाराम		मोटाराम पत्नी श्रवणराम निवासी
7- खेताराम पुत्र मेगाराम		कृष्णनगर तहसील फलोदी,
8- भगवानाराम पुत्र मेगाराम		जिला जोधपुर
9- हरखाराम पुत्र मेगाराम		3- रानूराम पुत्र दूधाराम
10- अणची बेवा मेगाराम		4- मोहनराम पुत्र दुधाराम
11- ताजूराम पुत्र लिखमाराम		5- हीराराम पुत्र दुधाराम
सभी जातियान जाट निवासीगण		6- मुलतानराम पुत्र दुधाराम
गांव चाडी तहसील फलोदी,		7- रूपाराम पुत्र दुधाराम
जिला जोधपुर		8- घूडी बेवा दुधाराम
		सभी जाति जाट निवासी गांव चाडी
		तहसील फलोदी जिला जोधपुर
		9- नारायणराम पुत्र बालाराम
		10- डुंगरराम पुत्र बालाराम
		11- जसाराम पुत्र बालाराम
		12- इमीराम पुत्र बालाराम
		सभी जातियान जाट निवासी गांव
		चाडी तहसील फलोदी
		जिला जोधपुर
		13- सुगनीदेवी पुत्री मेगाराम पत्नी
		सोनाराम जाति जाट निवासी
		पुनासर तहसील ओसियां
		जिला जोधपुर
		14- मोहनी पुत्री मेगाराम पत्नी भोमाराम
		जाति जाट निवासी हरलाया
		तहसील ओसियां जिला जोधपुर
		15- पारु पुत्री किशनाराम पत्नी
		अमराराम जाति जाट निवासी
		बरसालू तहसील ओसियां
		जिला जोधपुर
		16- ग्राम पंचायत चाडी जरिये सरपंच
		17- राजस्थान राज्य ज रये तहसीलदार
		फलोदी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 18-5-2017 जो राजस्व अपील संख्या 15/2012 अनवान पूनीदेवी वगैरा बनाम अणची वगैरा मे दिनांक 18-5-2017 को पारित किया गया ।

उपस्थिति:-

- 1- श्री एल.आर.पूनिया अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
- 2- श्री रोशनलाल अधिवक्ता रेस्पॉ संख्या 1 से 8 की ओर से ।
- 3- राजकीय अधिवक्ता रेस्पॉ संख्या 17 की ओर से ।
- 4- शेष रेस्पॉ बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 4-02-2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चाडी तहसील फलोदी के नामांतरकरण संख्या 569 मे वर्णित कुल 3 खसरान की कुल 70.13 बीघा



बति. मरथानाथ शायक
जोधपुर

भूमि लिखमा, सतीया पि० तुलछा, मोटिया पुत्र पुरखा 1/2, बना पुत्र जेठा 1/2 जाति जाट सा० देह के संयुक्त खातेदारी की थी । सहखातेदार मोटिया पुत्र पुरखा जाट के फोट होने पर मोटिया को लावल्द फोट होना बताते हुए उसके हिस्से के खातेदारी की भूमि उक्त नामांतरकरण में वर्णित अन्य सहखातेदारान लिखमा, सतीया पि० तुलछाराम कोम जाट के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत चाडी चोतीना द्वारा दिनांक 27-9-77 को स्वीकृत कर दिया । उक्त म्युटेशन संख्या 569 के विरुद्ध वर्तमान अपील की रेस्प० संख्या 1 व 2 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष वर्ष 2012 में यह कथन करते हुए पेश की कि वे मृतक खातेदार मोटिया उर्फ मोटाराम की पुत्रियां होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम प्रावधान अनुसार वे प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान जिवित होते हुए उनके पिता की मृत्यु होने पर उनके हिस्से की खातेदारी की भूमि का फोतेदगी नामांतरकरण संख्या 569 सहखातेदार मोटिया को लावल्द फोट होना बताते हुए अन्य सहखातेदारान लिखमा, सतीया पि० तुलछ राम कोम जाट के नाम 1/2 हिस्सा के नाम भरकर पटवारी हल्का चाडी द्वारा पेश किया तथा मृतक के वारिसान बाबत जांच किये बिना ही सरपंच ग्राम पंचायत चाडी चोतीना द्वारा उक्त म्युटेशन संख्या 569 स्वीकृत कर दिया, जबकि वर्तमान रेस्प० संख्या 1 व 2 मृतक खातेदार मोटिया की जायंदा पुत्रिया तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान जिवित है इसलिए सरपंच ग्राम पंचायत चाडी चोतीना द्वारा स्वीकृत उक्त म्युटेशन संख्या 569 को निरस्त करने का निवेदन किया तथा अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी होने पर विलंब से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथपत्र पेश किया गया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18-5-2017 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 569 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार फलोदी को मृतक खातेदार मोटिया उर्फ मोटाराम के विधिक वारिसान के बारे में अपीलांट्स व रेस्प० को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद साक्ष्य व सबूत के खातेदार मोटिया उर्फ मोटाराम का अपीलाधीन भूमि में उसके हिस्से का नामांतरकरण विधि अनुसार नये सिरे से स्वीकृत करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई । जिसके विरुद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

पक्षकारों के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 569 जो कि दिनांक 27-9-1977 को मजमे आम में स्वीकृत किया गया था जिसकी जानकारी रेस्प० संख्या 1 व 2 को प्रारंभ से ही थी परंतु अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृति के लगभग 35 वर्ष के विलंब से अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील पेश की जो पूर्णतया मयाद बाहर होने से खारीज योग्य थी, वकील अपीलांट ने कथन किया रेस्प० को अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी प्रारंभ से ही थी परंतु 35 वर्ष तक चुप बेठी रही और किसी सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी 1 म्युटेशन स्वीकृति में



वक्ति • मर्यादा • शपथ

रेस्पो0 की मौन स्वीकृति थी तथा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विलंब को क्षमा करने बाबत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जो कारण दर्शाये गये हैं वह संतोषजनक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय को उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को मयाद के बिन्दु पर ही खारीज कर देनी चाहिये थी। वकील अपीलांट ने मयाद के बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने विलंब का कोई ठोस एवं संतोषप्रद कारण का उल्लेख नहीं किया जबकि धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जानकारी कैसे व कब तथा किसके माध्यम से हुई ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया हुआ है। पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मयाद के इस कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए उनके समक्ष 35 वर्ष विलंब से प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 569 को निरस्त करने बाबत पारित आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि पर अपीलांटगण का ही प्रारंभ से कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त भूमि पर अपीलांटगण का मकानात व पशु बाड़ा आदि बनाये हुए हैं तथा अपीलांटगण परिवार सहित उक्त खातेदारी भूमि पर निवास करते आ रहे हैं जिसकी पूर्ण जानकारी प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को प्रारंभ से ही है तथा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन पारित करते समय प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के अपीलाधीन भूमि में से अपने अधिकार अपने तालुके के पक्ष में त्याग दिया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तथ्य अंकित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में 35 वर्ष विलंब से अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय हासिल किया है जो निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 569 स्वीकृत होने के बाद सहखातेदार लिखमाराम एवं सताराम का भी देहांत हो चुका है तथा उसके बाद उनके विरासत के नामांतरकरण भी स्वीकृत हो चुके हैं तथा उस वक्त भी मौके व कब्जे की जांच की गई तब भी प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं मिला तथा यह भी अवगत कराया कि अपीलाधीन भूमि का विभाजन होकर तथा बेचान आदि होकर भी कब्जे में परिवर्तन हो चुके हैं। वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 जो कि सहखातेदार मोटिया की पुत्रियां हैं, वे नाबालिग होने से मोटिया के फोट होने के बाद अन्य सहखातेदार लिखमा एवं सता के साथ ही रही तथा पली बड़ी हुई तथा उनकी शादी भी उक्त सहखातेदारों ने ही करवाई परंतु इन सभी तथ्यों की जानकारी होते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने आपसी पारिवारिक मनमुटाव के कारण एवं भूमि की कीमते बढ़ जाने के कारण बहकावे में आकर अधीनस्थ न्यायालय में 35 वर्ष के विलंब से अपील पेश की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

अंत में वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय संक्रांक 18-5-2017 को निरस्त कर अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 569 को बहाल रखने का निवेदन किया।



2
शक्ति • सुप्रसन्न • भायुक्त
श्रीधर

वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए तथा अपीलांत अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 जो कि अपीलाधीन भूमि के सहखातेदार मोटिया की जायंदा पुत्रीयां हैं तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस जीवित होते हुए उसे उसके पिता के खातेदारी की भूमि से वंचित रखते हुए तथा मृत खातेदार मोटिया को लावल्द बताते हुए उक्त म्युटेशन संख्या 568 अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज करते हुए स्वीकृत कर दिया था जो प्रारंभ से ही त्रुटिपूर्ण एवं शून्य एवं वॉर्डर्ड एब इनिश्यो था इसलिए ऐसे त्रुटिपूर्ण एवं वॉर्डर्ड एब इनिश्यो आदेशों के विरुद्ध अपील पेश करने में मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील के गुणावगुण पर विचार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने अपीलांत की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस में दौरान कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां प्रकरण गुणावगुण पर गबल हो तो पक्षकार को मयाद जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर न्याय से वंचित नहीं रचना चाहिये इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय गुणावगुण पर पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांत की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिकारियों की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18-5-2017 वं म्युटेशन संख्या 569 का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया । ग्राम चाडी तहसील फलोदी के नामांतरकरण संख्या 569 में वर्णित भूमि के सहखातेदार मोटिया को लावल्द फोट होना बताते हुए उनके हिस्से की खातेदारी की भूमि का म्युटेशन अन्य सहखातेदारों के नाम स्वीकृत कर दिया, जबकि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 कमशः पूनीदेवी एवं हरकूदेवी मृतक खातेदार मोटिया की जायंदा पुत्रीयां हैं इस तथ्य को अपीलांत भी स्वीकार करते हैं । उक्त म्युटेशन संख्या 569 के विरुद्ध वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18-5-2017 के द्वारा स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 569 को निरस्त कर तहसीलदार फलोदी को मृतक खातेदार मोटिया उर्फ मोटाराम के समस्त विधिक वारिसान के बारे में जांच कर उन्हें सुनवाई का अवसर देते हुए बाद साक्ष्य व सबूत के खातेदार मोटिया उर्फ मोटाराम का अपीलाधीन भूमि में उसके हिस्से का नामांतरकरण विधि अनुसार नये सिरे से स्वीकृत करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई, जो समर्थन योग्य है ।

इस संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 मृतक खातेदार मोटिया की जायंदा पुत्रीयां हैं, इस तथ्य का अपीलांत ने कोई खण्डन नहीं किया है । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 व 2 मृतक खातेदार मोटिया की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस होते हुए अपीलाधीन



1
वकील - उमरनाथ शर्मा
जोधपुर

म्युटेशन संख्या 569 के कॉलम संख्या 14 में मृत खातेदार मोटिया को भी लावल्ड बताते हुए उक्त म्युटेशन अन्य सहखातेदारों के पक्ष में स्वीकृत कर दिया जबकि मृतक मोटिया की जायंदा पुत्रीयां जीवित थी इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन प्रारंभ से ही शून्य होना से अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त म्युटेशन संख्या 569 को निरस्त कर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 569 जो प्रारंभ से ही विधिविरुद्ध, त्रुटिपूर्ण एवं एब इनिश्यो वॉइड था तो ऐसे आदेशों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है तथा ऐसे आदेशों को कभी भी चुनौती दी जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांत द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18-5-2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 4-2-2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अरुण पुरोहित)
अतिरिक्त सम्मन्त्री तथा युक्त
जोधपुर